रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 5] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2001/पौष 21, 1922
No. 5] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2001/PAUSA 21, 1922

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2001

एफ. सं. ए-27011/1/97-टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां अधिनियम) की धारा 47ज (2) के साथ पठित धारा 123क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की सहमति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इन विनियमो का नाम महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (छुट्टी यात्रा रियायत) विनियम, 2001 होगा।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगे।

2. **परिभाषाएँ**

इन विनियमो मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएँ लागू होगी :

(i) 'अधिनियम' का आशय महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां अधिनियम) से है।

(ii) 'प्राधिकरण' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से है।

(iii) 'भारत मे स्थान' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र का कोई भी स्थान शामिल होगा, चाहे वह भारत की मुख्य भूमि पर हो अथवा समुद्रपार।

(iv) 'ब्लॉक वर्ष' का आशय नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित दो कैलेंडर वर्षो के ब्लॉक अथवा चार कैलेडर वषो के ब्लॉक से है।

(v) 'अध्यक्ष' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अध्यक्ष से है।

(vi) 'रियायत' का आशय इन विनियमों के तहत कर्मचारी के लिए स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत से है।

(vii) 'नियंत्रण प्राधिकारी' से आशय अध्यक्ष से या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है।

(viii) 'अनुशासनिक प्राधिकारी' का आशय महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से होगा।

(ix) 'कर्मचारी' का आशय भारत के राजपत्र में अधिसूचित सेवा विनियमों के अनुसार प्राधिकरण कार्यालय में नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(x) 'परिवार' अर्थात् -

(क) कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित दो जीवित अविवाहित बच्चे या सौतेले बच्चे, चाहे वे कर्मचारी के साथ रह रहे हों अथवा नहीं ;

(ख) विवाहित पुत्रियाँ, जो तलाकशुदा, परित्यक्ता या अपने पतियों से अलग हो गई हों और कर्मचारी के साथ रह रही हों और कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों ;

(ग) कर्मचारी के साथ रह रहे और उस पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता और/या सौतेली माता ; और

(घ) कर्मचारी के साथ रह रहे तथा कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित अल्पव्यस्क भाई तथा अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, अपने पतियों से अलग या विधवा बहनें , बशर्ते उनके माता-पिता जीवित न हों अथवा वे स्वयं कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों।

स्पष्टीकरण

1. केवल दो जीवित बच्चों या सौतेले बच्चों को रियायत पर प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा (क) वे कर्मचारी जिनके इस प्रतिबंध के प्रभावी होने की तारीख अर्थात् 20-10-1997 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हों (ख) इस प्रतिबंध के प्रभावी होने से एक वर्ष के अन्दर जन्मे बच्चे (ग) दूसरे बच्चे के जन्म के समय एक से अधिक बच्चे के जन्म लेने से बच्चों की संख्या बढने पर।

2. इन विनियमों के प्रयोजन से 'परिवार' शब्द में एक से अधिक पत्नी शामिल नही होगी। परंतु, यदि एक कर्मचारी की कानूनी रूप से दो पत्नियाँ हैं और दूसरा विवाह प्राधिकरण की विशेष अनुमति से किया गया है तो दूसरी पत्नी को भी 'परिवार' की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

3. यद्यपि छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र होने के लिए पति/पत्नी और बच्चों का कर्मचारी के साथ रहना आवश्यक नहीं है, परंतु उनके मामले में की गई यात्रा की वास्तविक दूरी अथवा कर्मचारी के तैनाती स्थल और गृहनगर/यात्रा-स्थल के बीच की दूरी तक, जो भी कम हो, प्रतिबंधित होगी।

4. तलाकशुदा, परित्यक्ता, अपने पतियों से अलग रह रहीं अथवा विधवा बहनों के बच्चे 'परिवार' शब्द में शामिल नहीं है।

5. परिवार के जिस सदस्य की आय सभी स्रोतों से आय जिसमें पेंशन, पेशन मे अस्थायी वृद्धि शामिल है कितु पेंशन या वृत्तिका पर महँगाई भत्ता शामिल नहीं है, 1500/- रुपये से अधिक नहीं होगी। उस सदस्य के कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित समझा जाएगा।

(xi) 'सरकार' का आशय केन्द्र सरकार से है।

(xii) 'मुख्यालय' का आशय उस नगर या शहर से है जिसमे कर्मचारी को तत्समय के लिए तैनात किया गया है।

(xiii) 'गृहनगर' का आशय शहर, नगर, गॉव या ऐसे किसी अन्य स्थान से है, जो कर्मचारी द्वारा घोषित तथा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है।

(xiv) 'सदस्य' का आशय अधिनियम की धारा 47क के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य (अंशकालिक सदस्य सहित) से है।

(xv) 'वेतन' का आशय वेतनमान में मूल वेतन, विशष वेतन, महँगाई वेतन और वेतन के रूप मे वर्गीकृत परिलब्धियो से है।

(xvi) 'लोकसेवक' का आशय अधिनियम की धारा 112 के तहत परिभाषित व्यक्ति से है।

3. लागू होना

ये विनियम ऐसे सभी कर्मचारियो पर लागू होगे, जो प्राधिकरण मे पूर्णकालिक आधार पर नियोजन में है और जिन्होने प्राधिकरण मे एक वर्ष की निरन्तर और नियमित सेवा पूरी कर ली है।

4. गृहनगर की घोषणा

(i) प्रत्येक कर्मचारी को इन विनियमो के प्रारंभ होने की तारीख से छह माह की अवधि मे अथवा सेवा का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से छह माह की अवधि मे अथवा रियायत प्राप्त करने से पूर्व, जो भी पहले है, परिशिष्ट-I के रूप मे संलग्न प्रपत्र मे नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष अपने राज्य, जिला/शहर/नगर/गॉव अथवा भारत मे अन्य किसी स्थान को अपना गृहनगर घोषित करना होगा। नियंत्रण प्राधिकारी ऐसा सत्यापन करके जो वह उपयुक्त समझे औपचारिक स्वीकृति जारी करेगा।

(ii) विनियम 4 (i) के तहत की गई और नियत्रण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत घोषणा अतिम होगी ; किन्तु कर्मचारी के अनुरोध पर और पर्याप्त कारण होने पर नियत्रण प्राधिकारी लिखित मे दिए गए कारणो से गृहनगर की घोषणा मे परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है, परतु यह 'परिवर्तन पूरे सेवाकाल के दौरान एक से अधिक बार नही किया जाएगा।

5. रियायत का स्वरूप और उसकी स्वीकार्यता

(i) नियंत्रण प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने पर कर्मचारी स्वयं और अपने परिवार के सदस्यो के लिए निम्नलिखित रियायत प्राप्त कर सकता है

(क) दो वर्ष के ब्लॉक मे एक बार गृहनगर जाने के लिए , और

(ख) चार वर्ष के ब्लॉक मे एक बार भारत मे किसी भी स्थान पर जाने के लिए

परतु, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य भारत मे किसी स्थान पर जाने के बजाय गृहनगर जा सकते है।

(ii) जिस कर्मचारी का परिवार गृहनगर मे रहता है वह स्वय अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए दो वर्ष मे एक बार गृहनगर रियायत लेने के स्थान पर स्वय के लिए वर्ष मे एक बार यह रियायत प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अविवाहित कर्मचारी के लिए भी उपलब्ध होगी।

(iii) गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत को स्थानांतरण/दौरे के साथ मिलाया जा सकता है।

(iv) गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत के साथ परिक्रामी (सर्कुलर) यात्रा टिकट भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

(v) गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत अध्ययन अवकाश, आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

(vi) गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत, राज्य पर्यटन विकास निगम और सरकार या स्थानीय निकायो द्वारा प्रचालित वाहनो मे यात्रा करने पर स्वीकार्य होगी और केवल संबंधित सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए टिकट ही मान्य होगे।

6. जब पति और पत्नी दोनों ही इस प्राधिकरण में कार्यरत हों

(i) वे दोनो स्वतंत्र रूप से अलग-अलग अपने गृहनगर घोषित कर सकते हैं।

(ii) वे अपने-अपने परिवारो के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर सकते हैं अर्थात पति अपने माता-पिता/छोटे भाईयो/बहनो के लिए और पत्नी अपने माता-पिता/छोटे भाईयों/बहनों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के लिए दावा कर सकते हैं।

(iii) एक ब्लॉक विशेष मे बच्चे अपने माता-पिता मे से किसी एक के सदस्य के रूप मे रियायत का दावा कर सकते हैं।

(iv) जो पति या पत्नी, अपने पति/पत्नी के परिवार के सदस्य के रूप मे छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते हैं, स्वतंत्र रूप से स्वयं के लिए दावा नहीं कर सकते।

(v) यदि कर्मचारी का पति/पत्नी सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रम/निगम/स्वायत्त निकाय आदि मे नियोजित है, जो छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाएँ प्रदान करता है तो उस कर्मचारी से इस आशय का वचनपत्र लिया जाएगा कि उसको पति/पत्नी ने इस संबंध मे नियोक्ता से कोई दावा नहीं किया है और न वह करेगा/करेगी।

7. अग्रनीत करना

गृहनगर अथवा भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए दी गई रियायत का उपयोग यदि उस ब्लॉक वर्ष के दौरान नहीं लिया जाता है जिसमें वह देय थी, तो उसे अगले दो वर्षों या चार वर्षों के, जैसी भी स्थिति हो, ब्लॉक के प्रथम वर्ष में अग्रनीत किया जा सकता है। इसके पश्चात यह रियायत समाप्त हो जाएगी, बशर्ते उसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा और न बढ़ाया जाए।

8. भ्रमण के लिए अभीष्ट स्थान घोषित करना

कर्मचारी को नियंत्रण प्राधिकारी के समक्ष भ्रमण के लिए अभीष्ट स्थान की अग्रिम घोषणा करनी होगी।

9. भ्रमण के लिए घोषित स्थान में परिवर्तन

भ्रमण के लिए घोषित स्थान में परिवर्तन की सूचना नियंत्रण अधिकारी को यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व देनी होगी। परंतु यदि, यह सिद्ध हो जाता है कि कुछ ऐसे कारणों से जो कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थे, यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोध नहीं किया जा सकता था तो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके गंतव्य में परिवर्तन स्वीकार किया जा सकता है।

10. प्रतिपूर्ति

कार्य-स्थल और गृहनगर के बीच दोनों ओर की यात्राओं के लिए 'किराये' की पूरी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यदि कर्मचारी कार्य-स्थल से दूर अपने परिवार के साथ रहता है तो आवास-स्थल और गृहनगर के बीच दोनों ओर के किराये की प्रतिपूर्ति कार्य-स्थल से गृहनगर और वापिसी की यात्रा के किराये की प्रतिबंधित सीमा तक की जाएगी। आरक्षण प्रभार की सभी श्रेणियों के मामले में प्रतिप्रर्ति की जाएगी, लेकिन आगे/वापिसी की यात्राओं आदि के आरक्षण के लिए तार-प्रभारों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

11. हकदारी

(1) छुट्टी यात्रा रियायत योजना के तहत यात्रा के लिए हकदारी निम्नवत होगी :

(क) (i) हवाई/रेल यात्रा

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	18,400 रूपये एवं अधिक	विकल्पानुसार राष्ट्रीय कैरियर्स द्वारा किफायती हवाई (वाई) श्रेणी अथवा रेल द्वारा प्रथम श्रेणी वातानुकूलित
(ii)	16,4000 रूपये से अधिक, परन्तु 18,400 रूपये से कम	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
(iii)	8,000 रूपये से अधिक, परन्तु 16,400 रूपये से कम	द्वितीय वातानुकूलित 2-टॉयर शायिका
(iv)	4,100 रूपये से अधिक, परन्तु 8,000 रूपये से कम	प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित 3-टॉयर शायिका/वातानुकूलित शयन यान*
(v)	4,100 से कम	द्वितीय शायिका

* ऐसे सभी कर्मचारी जो छुट्टी यात्रा रियायत पर प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित 3-टॉयर शायिका/वातानुकूलित शयनयान से यात्रा करने के हकदार हैं उस स्थिति में वातानुकूलित 2-टॉयर शायिका में यात्रा कर सकते हैं जब प्रारंभिक स्थान से संबंधित गंतव्य तक सीधे लघुतम मार्ग से जुड़ी किसी गाड़ी में इन तीन श्रेणियों की व्यवस्था नहीं हो।

(ii) राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	16,400 रूपये एवं अधिक	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
(ii)	8,000 रूपये से अधिक, परन्तु 16,400 रूपये से कम	द्वितीय वातानुकूलित 2-टॉयर शायिका
(iii)	4,100 रूपये से अधिक, परन्तु 8,000 रूपये से कम	वातानुकूलित 3-टॉयर शायिका

(iii) शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियो द्वारा यात्रा

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	16,400 रूपये एवं अधिक	अधिशासी श्रेणी
(ii)	4,100 रूपये से अधिक, परन्तु 16,400 रूपये से कम	वातानुकूलित शयन यान

टिप्पणी : राजधानी/शताब्दी रेलगाड़ियों की हकदारी उन मामलों में लागू होगी जिनमें कल्पित आधार पर हकदारी निर्धारित करने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में इन रेलगाड़ियों से यात्रा की गई हो। यात्रा के दोनों स्थान अर्थात यात्रा प्रारंभ का स्थान और गंतव्य राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस से सीधे जुड़े होने चाहिए।

(ख) (i) समुद्र या नदी स्टीमर द्वारा यात्रा

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	8,000 रूपये एवं अधिक	उच्चतम श्रेणी
(ii)	6,500 रूपये से अधिक, परन्तु 8,000 रूपये से कम	निम्नतर श्रेणी, यदि स्टीमर में केवल दो श्रेणियाँ हैं।
(iii)	4,100 रूपये से अधिक,परन्तु 6,500 रूपये से कम	मध्यम या द्वितीय श्रेणी यदि तीन श्रेणियाँ हैं। तृतीय श्रेणी यदि चार श्रेणियाँ हैं।
(iv)	4,100 रूपये से कम	निम्नतम श्रेणी

(ii) मुख्य स्थान और अण्डोमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच भारतीय जहाज़रानी निगम लिमिटेड द्वारा प्रचलित जहाजों में यात्रा करने के लिए श्रेणी की हकदारी निम्नवत होगी :

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	8,000 रूपये एवं अधिक	डीलक्स श्रेणी
(ii)	6,500 रूपये से अधिक, परन्तु 8,000 रूपये से कम	प्रथम/'क' केबिन श्रेणी
(iii)	4,100 रूपये से अधिक, परन्तु 6,500 रूपये से कम	द्वितीय/'ख' केबिन श्रेणी
(iv)	4,100 रूपये से कम	बंक श्रेणी

(ग) (i) सड़क मार्ग द्वारा यात्रा

क्र.सं.	वेतन-सीमा	हकदारी
(i)	18,400 रूपये एवं अधिक	वातानुकूलित बस सहित किसी भी सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया अथवा

		रेलमार्ग से न जुड़े स्थानों की यात्रा हेतु वातानुकूलित टैक्सी/टैक्सी (वातानुकूलित टैक्सी तभी जब यदि यात्रा वास्तव में वातानुकूलित टैक्सी द्वारा की गई है), इस शर्त के अधीन कि दावा हकदार श्रेणी के किराये अथवा वास्तव में दिए गए किराये की राशि तक, इसमें जो भी कम हो, प्रतिबंधित होगा।
(ii)	8,000 रूपये से अधिक, परन्तु 18,400 रूपये से कम	उपर्युक्त (i) के अनुसार इस अपवाद के साथ कि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा यात्राओं की अनुमति नहीं होगी।
(iii)	6,500 रूपये से अधिक, परन्तु 8,000 रूपये से कम	उपर्युक्त (ii) के अनुसार इस अपवाद के साथ कि वातानुकूलित बस द्वारा यात्राओं की अनुमति नहीं होगी।
(iv)	4,100 रूपये से अधिक, परन्तु 6,500 रूपये से कम	वातानुकूलित बस से भिन्न किसी भी सार्वजनिक बस का वास्तविक किराया अथवा रेलमार्ग से न जुड़े स्थानों की यात्रा हेतु ऑटो रिक्शा के लिए निर्धारित दर पर इस शर्त के अधीन कि दावा हकदार श्रेणी के बस किराये अथवा वास्तव में दिए गए किराये की राशि तक, इसमे जो भी कम हो, प्रतिबंधित होगा।
(v)	4,100 रूपये से कम	उपर्युक्त (iv) के अनुसार इस शर्त सहित कि दावा साधारण बस के किराये तक प्रतिबंधित होगा।

टिप्पणी : वातानुकूलित टैक्सी, टैक्सी या ऑटो रिक्शा से की गई यात्रा के सभी मामलों में किराये की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(i) यदि उपर्युक्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मौजूद नही है तो स्थानातरण के अंतर्गत यात्राओं के मामले के समान यह सुविधा लागू होगी।

(ii) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सड़क मार्ग से यात्रा करने वाला कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगमों और अन्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा चालित परिवहन सेवाओं द्वारा प्रचालित बस, वैन या अन्य वाहन में, भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए सीट या सीटें लेता है तो उसे वास्तविक किराया प्रभार अथवा घोषित स्थान की यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक बशर्ते यात्रा रेल द्वारा हकदार श्रेणी के अंतर्गत लघुतम सीधे मार्ग से की गई हो, इनमें से जो कम है, प्रतिपूर्ति की जाएगी। निजी कार (स्वाधिकृत, उधार ली गई अथवा किराये पर ली गई), अथवा निजी प्रचालकों के स्वामित्व वाली बस, वैन या अन्य वाहन द्वारा यात्रा के लिए प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

(2) **विमान द्वारा यात्रा** - कर्मचारी रेलमार्ग से न जुड़े स्थानों के बीच की यात्रा उस स्थिति में विमान द्वारा कर सकता है, जब यदि यात्रा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध न हो अथवा अधिक खर्चीला हो।

(3) भारत राज्यक्षेत्र की नौवहन सेवाओं से जुड़े स्थानों के संबंध में जहाज द्वारा यात्रा के लिए कर्मचारी की हकदारी, स्थानांतरण पर जहाज द्वारा यात्राओं के मामले के समान ही विनियमित होगी।

(4) यातायात के अन्य साधनों से न जुड़े स्थानों के बीच यात्रा के लिए कर्मचारी पशु परिवहन, जैसे - टट्टू, हाथी, ऊँट आदि का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे मामलों में मील भत्ता स्थानांतरण पर यात्राओं के समान स्वीकार्य होगा।

12. एक या एक से अधिक यातायात के साधनों द्वारा लम्बे मार्ग से की गई यात्रा

यदि रेल सेवा की दो भिन्न श्रेणियों में लम्बे मार्ग द्वारा (सस्ते से सस्ता नहीं) यात्रा की जाती है तो लघुतम मार्ग से हकदारी की श्रेणी मार्ग दर स्वीकार्य होगी। यदि यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए यात्रा की जाती है तो रेल के लिए हकदारी अथवा सड़क मार्ग द्वारा यात्रा के लिए दी जाने वाली वास्तविक राशि की, इसमें से जो कम हो, प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति के लिए दावों का परिकलन प्रत्येक/यात्रा के वास्तविक साधन/लघुतम मार्ग से दूरी के संदर्भ में तय की गई दूरी के समानुपातिक आधार पर किया जाएगा।

13. अग्रिम की मंजूरी

(i) कर्मचारी को यात्रा पर अनुमानित खर्च के 80 प्रतिशत से अधिक अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

(ii) अग्रिम लेने वाले कर्मचारी को अग्रिम लेने के दस दिनों के भीतर रेलवे टिकट संख्याएँ आदि नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होंगी।

(iii) अग्रिम स्वयं तथा परिवार के लिए अलग-अलग लिया जा सकता है।

14. दावे

(i) कर्मचारी को उसके द्वारा भुगतान किए गए किराये की प्रतिपूर्ति के लिए दावा यात्रा समाप्त होने की तारीख से तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा और यदि अग्रिम लिया गया है तो दावा यात्रा समाप्त होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी को इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसने अथवा उसके परिवार ने अथवा दोनो ने वास्तव मे यात्रा की है।

(ii) यदि कर्मचारी विनियम 14 (i) मे उल्लिखित अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका प्रतिपूर्ति के लिए दावा खत्म हो जाएगा और उसके द्वारा लिया गया अग्रिम, यदि कोई है, उसी माह कर्मचारी के वेतन से ब्याज सहित, जिसकी गणना जीपीएफ/सीपीएफ पर लागू सामान्य ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक दर पर की जाएगी, वसूल कर लिया जाएगा।

15. छुट्टी यात्रा रियायत का कपटपूर्ण दावा

(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी को यह संतुष्टि हो जाती है कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि कर्मचारी ने कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत किया है जिसे कदाचार का मामला माना जाएगा तो वह उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारभ कर सकता है और ऐसे कर्मचारी को इस अनुशासनात्मक कार्यवाही के समाप्त होने तक रियायत नही दी जाएगी।

(ii) यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है तो कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लबित रहने के दौरान पहले से रोकी गई रियायत के साथ-साथ दो अनुवर्ती रियायतो का भी हकदार नही होगा।

(iii) यदि कर्मचारी रियायत के कपटपूर्ण दावे के आरोप से पूर्णत: आरोप-मुक्त हो जाता है तो उसे आगामी ब्लॉक वर्षों के साथ-साथ पूर्ववर्ती रोकी गई रियायत भी अधिवर्षिता की सामान्य तारीख से पूर्व प्राप्त करने की अनुमति होगी।

16. छूट देने की शक्ति

इन विनियमो मे अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, यदि अध्यक्ष संतुष्ट हो कि इनमे से किसी भी विनियम के लागू करने पर किसी विशेष मामले मे अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है तो वह आदेश द्वारा लिखित मे कारण देते हुए उस विनियम की अपेक्षा को समाप्त कर सकता है या उसमे ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवादो और शर्तों के अधीन छूट दे सकता है जो वह मामले को न्यायसंगत एवं यथोचित ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक समझे।

17. निर्वचन

यदि इन विनियमों के निर्वचन मे कोई शंका उत्पन्न होगी तो उसे प्राधिकरण को भेजा जाएगा और उस पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

18. अवशिष्ट मामले

जिन मामलो के बारे मे इन विनियमो के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है उन्हे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 एवं इसके अतर्गत जारी अनुदेशो तदनुरूपी उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

19. निरसन और व्यावृत्ति

इन विनियमो के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व प्रभावी जिन कर्मचारियो पर ये नियम लागू होते हैं उन कर्मचारियो पर लागू इन विनियमो के तदनुरूपी सभी नियमो और विनियमो को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ;

परंतु उनके अंतर्गत दिए गए आदेश या की गई कार्रवाई को इन विनियमो के तदनुरूपी उपबंधो के तहत दिया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझा जाएगा ;

परंतु यह निरसन इस प्रकार निरसित किए गए नियमो और विनियमो के पूर्व प्रचालन को प्रभावित नही करेगा और किसी भी उक्त विनियम का निरसन और उल्लंघन, उसी प्रकार दण्डनीय होगा जैसे मानो यह इन विनियमो का उल्लंघन हो।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2000(असाधारण)]

परिशिष्ट-I

गृहनगर घोषणा प्रपत्र

(विनियम 4 देखें)

1. नाम :
2. पदनाम :
3. वेतन :
4. रेल यात्रा की श्रेणी :
5. निरंतर सेवा में नियुक्ति की तारीख :
6. पैतृक नगर/गाँव :
7. जिला :
8. राज्य :
9. कॉलम 6 के सामने पैतृक नगर/गाँव घोषित करने का कारण : क्या वहाँ संपत्ति है अथवा स्थायी पता है :
10. क्या आपका नगर/गाँव रेलमार्ग से जुड़ा है? यदि हाँ, तो निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम बताएँ। :
11. दिल्ली से पैतृक नगर/गाँव की अनुमानित दूरी :
12. क्या आपने किसी सरकारी रिकार्ड में (अर्थात् चयन हेतु आवेदन में) पहले से ही पैतृक नगर/गाँव की घोषणा दर्ज कराई है :
13. विनियम 2 (X) में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों की संख्या तथा कर्मचारी के साथ संबंध :
    (i) वयस्क :
    (ii) बच्चे :

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2001

F. No. A-27011/1/97-TAMP.—In exercise of the powers conferred by Section 123A read with Section 47H (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act No. 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports with the concurrence of the Central Government, hereby makes the following Regulations namely :

1. Short title and Commencement

(1). These Regulations may be called the Tariff Authority for Major Ports (Leave Travel Concession) Regulation, 2001.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

(i). 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963 (Act No.38 of 1963).

(ii). 'Authority' means the Tariff Authority for Major Ports constituted under Section 47A of the Act.

(iii). "A Place in India" will cover any place within the territory of India, whether it is on the mainland India or overseas.

(iv). "Block Year" means a block of two calendar years or a block of four calendar years as may be specified by Controlling Authority.

(v). "Chairman" means the Chairperson of the Authority appointed under Section 47 A of the Act.

(vi). "Concession" means the Leave Travel Concession admissible to an employee under these Regulations.

(vii). "Controlling Authority" means the Chairman or any other officer authorised by the Authority.

(viii). "Disciplinary Authority" shall have the same meaning as assigned to it in the Tariff Authority for Major Ports (Classification, Control and Appeal) Regulations.

(ix). "Employee" means any person appointed in the office of the Authority against a post in terms of its Service Regulations notified in the Gazette of India.

(x) "Family" means -

(a) the employee's wife or husband, as the case may be, and two surviving unmarried children or stepchildren wholly dependent on the employee, irrespective of whether they are residing with the employee or not;

(b) married daughters who have been divorced, abandoned or separated from their husbands and are residing with the employee and are wholly dependent on the employee;

(c) parents and/or stepmother residing with and wholly dependent on the employee; and,

(d) unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned, separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the employee, provided their parents are either not alive or are themselves wholly dependent on the employee.

EXPLANATIONS:

1. The restriction of the concession to only two surviving children or stepchildren shall not be applicable in respect of (a) those employees who already have more than two children prior to the coming into force of this restriction, i.e. 20-10-1997; (b) children born within one year of the coming into force of this restriction: (c) where the number of children exceeds two as a result of second child birth resulting in multiple births.

2. Not more than one wife is included in the term "Family" for the purpose of these Regulations. However, if an employee has two legally wedded wives and the second marriage is with the specific permission of the Authority, the second wife shall also be included in the definition of "Family".

3. Though it is not necessary for the spouse and children to reside with the employee so as to be eligible for the Leave Travel Concession, the concession in their cases shall, however, be restricted to the actual distance travelled or the distance between the headquarters/place of posting of the employee and the home town/place of visit, whichever is less.

4. Children of divorced, abandoned, separated from their husbands or widowed sisters are not included in the term "Family".

5. A member of the family whose income from all sources, including pension, temporary increase in pension but excluding

dearness relief on pension or stipend, etc., does not exceed Rs.1,500/- p.m. is deemed to be wholly dependent on the employee.

(xi). "Government" means the Central Government.

(xii). "Headquarters" means the city or town in which the employee has been posted for the time being.

(xiii) "Home Town" means the city, town, village or any other place declared as such by an employee and accepted by the Controlling Authority.

(xiv) "Member" means the Member (including a part-time Member) of the Authority appointed under Section 47A of the Act.

(xv) "Pay" means basic pay in the pay scale, special pay, dearness pay and any other emoluments classified as pay.

(xvi) "Public Servant" means the same thing as defined under Section 112 of the Act.

3. Application

These Regulations shall apply to all employees who are in whole time employment of the Authority and have completed one year of continuous and regular service in the Authority.

4. Declaration of Home Town

(i). Every employee shall within a period of six months from the date of the commencement of these Regulations or within a period of six months from the date of joining the service or before availing of concession, whichever is earlier, make a declaration to the Controlling Authority in the form attached as Appendix – I, about the State, District/City/Town/Village or any other place in India as his/her Home Town, and the Controlling Authority shall issue a formal acceptance after such verification as may be considered appropriate.

(ii). A declaration made under Regulation 4(i) and accepted by the Controlling Authority shall be final; but, at the request of an employee and on sufficient reasons, the Controlling Authority may, for reasons to be recorded in writing accept a change in the declaration of the Home Town, provided that such a change shall not be effected more than once during the entire period of service.

5. Types of concession and their admissibility

(i). Subject to the approval of the Controlling Authority, an employee may avail of the concession for himself/herself and members of his/her family -

(a) to visit his/her Home Town once in a block of two

(b) to visit any place in India once in a block of four years;

provided that an employee or the members of his/her family, in lieu of visiting any place in India, visit the Home Town.

(ii). An employee having his/her family at his/her Home Town may avail of the Home Town concession for himself/herself alone every year instead of having it for both self and family once in two years. This facility will be available to an unmarried employee also.

(iii). The Home Town leave travel concession can be combined with transfer/tour.

(iv). Circular tour tickets can be availed of in conjunction with the Home Town leave travel concession.

(v). The Home Town leave travel concession may be availed of during any leave including study leave, casual leave and special leave.

(vi). The Home Town leave travel concession will be admissible for journeys performed in vehicles operated by State Tourism Development Corporations and Transport Service run by the Government or local bodies and only the tickets issued by the Government body concerned shall be recognised.

6. When both husband and wife are working in the Authority

(i). They may declare their separate Home Towns independent of each other.

(ii). They may claim LTC for their respective families viz. the husband can claim for his parents/minor brothers/sisters and the wife may claim for her parent/minor brothers/sisters.

(iii). The children may claim the concession as members of family of any one of the parents in a particular block.

(iv). The husband or wife who avails LTC as a member of the family of the spouse, cannot claim independently for self.

(v). Where the spouse of an employee is employed in the Government / Public Sector Undertaking / Corporation / Autonomous body etc. which provides LTC facilities, an undertaking to this effect that his/her spouse has not preferred and will not prefer any claim in this behalf to his/her employer shall be taken.

7. Carry forward

The concession to visit Home Town or any place in India, if unutilized during a block year for which it was due, may be carried forward to the first

year of the next block of two years or four years, as the case may be and thereafter it shall lapse unless extended further, by the Controlling Authority.

8. Intended place of visit to be declared

The intended place of visit shall be declared in advance by an employee to the Controlling Authority

9. Change in the declared place of visit

Any change in the declared place of visit shall be intimated to the Controlling Authority before commencement of the outward journey. If, however, it is established that the request could not be made before commencement of the outward journey for reasons beyond the control of the employee, change of destination may be admitted by the Controlling Authority after considering the facts and circumstances of the case.

10. Reimbursement

'Fare' for journeys between duty station and Home Town, both ways, shall be reimbursed by the Authority in full. If an employee resides with his/her family away from the duty station, fares for journeys between place of residence and Home Town, both ways, restricted to that from duty station to Home Town and back shall be reimbursed. Reservation charges may be reimbursed in respect of all classes, but telegram charges for reservation of onward/return journeys etc., shall not be reimbursable.

11. Entitlement

(1) For travel under the scheme of Leave Travel Concession, the entitlements shall be as under:

(A). (i). Journey by Air/Rail:

Sl. No.	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs 18,400 and above.	Air Economy (Y) Class by National Carriers or AC First Class by train, at their option.
(ii)	Rs.16,400 and above, but less than Rs.18,400	AC First Class.
(iii).	Rs 8,000 and above, but less than Rs 16,400.	Second AC 2-tier Sleeper
(iv).	Rs.4,100 and above, but less than Rs 8,000.	First Class / AC 3-tier Sleeper /AC Chair Car.*
(v).	Below Rs 4,100.	Second Sleeper

* All employees who are entitled to travel on LTC by First Class /AC 3-tier Sleeper/AC Chair Car may, at their discretion, travel by AC 2-tier Sleeper in cases where any of the trains connecting the originating and destination stations concerned by the direct shortest route do not provide these three

(ii). Travel by Rajdhani Express Trains:

Sl. No.	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs.16,400 and above.	AC First Class.
(ii).	Rs.8,000 and above, but less than Rs.16,400	Second AC 2-tier Sleeper.
(iii).	Rs.4,100 and above, but less than Rs.8,000	AC 3-tier Sleeper.

(iii). Travel by Shatabdi Express Trains:

S.No.	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs.16,400 and above.	Executive Class
(ii).	Rs.4,100 and above, but less than Rs.16,400.	AC Chair Car.

Note – Entitlement by Rajdhani/Shatabdi Trains would be applicable in cases where journey is actually undertaken by these trains and not for determining entitlement on notional basis. Both ends of the journey, i.e. place of start of the journey and the destination should be directly connected by Rajdhani/Shatabdi Express.

(B). (i). Journey by Sea or by River Steamer:

Sl No.	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs.8,000 and above.	Highest Class.
(ii).	Rs.6,500 and above, but less than Rs.8,000.	If there are two classes only on the steamer, the lower class.
(iii).	Rs.4,100 and above, but less than Rs.6,500.	If there are three classes, the middle or the second class. If there be four classes, the third class.
(iv).	Below Rs.4,100.	The lowest class.

(ii). Accommodation entitlements for travel between the mainland and the Andaman & Nicobar Group of Islands and the Lakshadweep Group of Islands by ships operated by the Shipping Corporation of India Limited will be as follows:

S.No	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs.8,000 and above.	Deluxe Class.
(ii)	Rs.6,500 and above, but less than Rs.8,000	First/'A' Cabin Class.
(iii).	Rs.4,100 and above, but less than Rs 6,500	Second/'B' Cabin Class
(iv).	Less than Rs.4,100.	Bunk Class.

(C) (i). Journey by Road:

S No	Pay Range	Entitlement
(i).	Rs.18,400 and above.	Actual fare by any type of public bus, including air-conditioned bus: OR At prescribed rates for AC Taxi/Taxi (AC Taxi when the journey is actually performed by AC Taxi) for journey to the places not connected by rail, subject to condition that the claim shall be restricted to the bus fare by entitled class or the fare actually paid, whichever is less
(ii).	Rs.8,000 and above, but less than Rs.18,400.	Same as at (i) above with the exception that journeys by AC Taxi will not be permissible
(iii)	Rs.6,500 and above, but less than Rs.8,000.	Same as at (ii) above with the exception that journeys by air-conditioned bus will not be permissible
(iv).	Rs 4,100 and above, but less than Rs.6,500.	Actual fare by any type of public bus other than air-conditioned bus: OR At prescribed rate for auto rickshaw for journey to places not connected by rail, subject to condition that the claim shall be restricted to bus fare by entitled class or the fare actually paid, whichever is less.
(v)	Below Rs.4,100.	As at (iv) above with the condition that the claim shall be restricted to the bus fare by ordinary bus

NOTE – In all cases of travel by AC Taxi, Taxi or Auto rickshaw production of fare receipt will be necessary.

(i). Where a public transport system as aforesaid does not exist, the assistance will be regulated as in case of journeys undertaken on transfer.

(ii). Notwithstanding anything contained in this Regulation, where an employee travelling by road takes a seat or seats in bus, van or other vehicle operated by Tourism Development Corporations in the Public Sector, State Transport Corporations and Transport services run by other Government or local bodies to visit any place in India, the reimbursement shall be either the actual hire charges or the amount reimbursable on the journey to the declared place of visit had the journey been undertaken by entitled class by rail by the shortest direct route, whichever is less. Reimbursement shall not be admissible for journey by a private car (owned, borrowed or hired), or a bus, van or other vehicle owned by private operators.

(2). By Air – The employee may travel by air between places not connected by rail, where an alternative means of travel is either not available or is more expensive.

(3). In regard to places in territory of India connected by shipping services, the entitlement of an employee to travel by ship will be regulated as in the case of journeys by ship undertaken on transfer.

(4). Travel between places not connected by any other means of transport, an employee can avail of animal transport like pony, elephant, camel, etc. In such cases mileage allowance will be admissible at the same rate as for journeys on transfer.

12. Journey performed by a longer route in one or more modes of conveyance

When a journey is performed by a longer route (not the cheapest) in two different classes of rail accommodation, the entitled class route rate through the shortest route shall be admissible. Where journey is performed by a longer route in different modes of transport, reimbursement may be made as per entitlement by rail or the actual amount paid for journey by road, which is less. The claim shall be worked out on a proportional basis for each/actual mode of journey/distance covered with reference to the distance by the shortest route.

13. Grant of advance

(i). An advance not exceeding 80% of the estimated expenditure on journey may be granted to an employee.

(ii). An employee drawing advance may furnish railway ticket numbers, etc., to the Controlling Authority within ten days of the drawal of the advance.

(iii). Advance may be drawn separately for self and family.

14. Claims

(i). The employee shall prefer claim for reimbursement of the fare paid by him/her for concession within three months of date of completion of the journey and if an advance had been drawn the claim shall be preferred within one month of the completion of the journey. The employee shall also furnish a certificate to the effect that he/she or his/her family or both actually performed the journey.

(ii). If an employee fails to prefer his/her claim within the period specified in Regulation 14(i), his/her claim for reimbursement shall be 'forfeited and the advance drawn by him/her, if any, shall be recovered in one lump sum from his/her salary for the following month together with interest which will be calculated @1% more than the normal rate of interest applicable on GPF/CPF.

15. Fraudulent claim of Leave Travel Concession

(i). If the disciplinary authority is satisfied that there are sufficient reasons to believe that an employee has preferred a fraudulent claim which shall amount to an act of misconduct, it may initiate disciplinary proceedings against him/her and such an employee shall not be allowed the concession till finalisation of such disciplinary proceedings.

(ii). If the disciplinary proceedings result in imposition of any penalty, the employee shall not be entitled to two subsequent sets of concession in addition to the sets already withheld during the pendency of the disciplinary proceedings.

(iii). If an employee is fully exonerated of the charge of fraudulent claim of the concession, he/she shall be allowed to avail of the concession withheld earlier as additional set(s) in future block years but before the normal date of superannuation.

16. Power to relax

Save as otherwise provided in these Regulations, where the Chairman is satisfied that operation of any of these Regulations causes undue hardship in any particular case, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirement of that Regulation to such an extent and subject to such exceptions and conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. Interpretation

If any question relating to the interpretation of these Regulations, arises, it shall be referred to the Authority whose decision thereon shall be final and binding.

18. Residuary matters

Matters with respect to which no specific provisions have been made under these Regulations shall be regulated under corresponding provisions of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988 as amended from time to time and the instructions issued there under by the Government.

19. Repeal and saving

Any Rules and Regulations corresponding to these Regulations in force immediately before the commencement of these Regulations and applicable to the employees to whom these Regulations apply, are hereby repealed;

provided that any order made or action taken there under shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations;

provided further that such repeal shall not affect the previous operation of the Rules and Regulations so repealed and a contravention of any of the said Regulations shall be punishable as if it were a contravention of these Regulations.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/143/2000(Exty.]

Appendix – 1

HOME TOWN DECLARATION FORM
(See Regulation 4)

1. Name :
2. Designation :
3. Pay :
4. Class of travel by Rail :
5. Date of continuous appointment in service :
6. Ancestral Town / Village :
7. District :
8. State :
9. The reasons for declaring Ancestral: Town/Village against column 6, whether own property or permanent address.
10. Whether your Town/Village is connected with rail? If so, indicate the name of the nearest Rly.Station. :
11. Approx. distance of your Ancestral : Town/Village from Delhi.
12. Have you already recorded declaration of your ancestral Town/ Village in any Govt. records (e.g. in application for selection. :
13. The Number of family members as defined in Regulation 2 (x) and relations with the employees.
    (i) Adults
    (ii). Children

I certify that the information given above is correct to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature

Name :

Designation :

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054